न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **55/2023 अपील सू.प्र.**

उनवान

राधेश्याम धाकड़ पुत्र जीतमल धाकड़ निवासी भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 19-12.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 23.08.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये नकद के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.09.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 1805 दिनांक 10.10.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना तैयार कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के पत्र क्रमांक 575 दिनांक 04.09.2023 से अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित दी गयी है।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि उनके द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को आवेदन में वांछित समस्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाकर, आंशिक सूचना ही उपलब्ध करायी गयी है। अतः अपीलार्थी की अपील अंतर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 19-12-.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा